परिशिष्ट – I

STENO SERVICE RULE.

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक 3.7.08

संख्या–2/नि० स्था० आशुटंकक (03)–07/07 3899/भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय स्थापना के आशुलिपिकों/आशुटंककों की भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा–शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।** –
(1) यह नियमावली सहकारिता विभागीय क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2008 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषा।** – इस नियमावली में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–
(क) 'विभाग' से अभिप्रेत है सहकारिता विभाग;
(ख) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है सहकारिता विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत आशुलिपिक/आशुटंकक का संवर्ग;
(ग) 'नियुक्ति पदाधिकारी' से अभिप्रेत है निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार; तथा
(घ) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग।

3. **संवर्ग का गठन।** –
(1) इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व से सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुटंकक/आशुलिपिक के पदों पर नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।
(2) यह संवर्ग राज्यस्तरीय होगा।
(3) इस संवर्ग में निम्नलिखित कोटि के पद होंगे–

क्रमांक	कोटि	स्तर	वेतनमान
1	ग्रेड III	मूल कोटि	4000-100-6000
2	ग्रेड II	प्रोन्नति का प्रथम स्तर	5000-150-8000
3	ग्रेड I	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर	5500-175-9000

(4) उपर्युक्त उप–नियम 3(3) के अनुसार विभिन्न कोटि के आशुलिपिकों की संख्या का आकलन उनके स्वीकृत पद बल के आधार पर होगा।
(5) राज्य सरकार द्वारा पदों के सृजन तथा प्रत्यर्पण के अनुसार स्वीकृत पदबल संशोधित समझा जाएगा।

4. **नियुक्ति की प्रक्रिया।** – (1) संवर्ग में मात्र ग्रेड–III के पद पर सीधी नियुक्ति की जाएगी।
(2) आशुलिपिक ग्रेड–III के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हत्ता मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता होगी।
(3) न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय–समय पर विनिश्चित की जाए।
(4) नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान विनिश्चित रिक्तियों के आधार पर अधियाचना 30वीं अप्रील तक आयोग को भेजी जाएगी।
(5) आयोग द्वारा आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा तथा आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्षता की जाँच के आधार पर चयन किया जाएगा।

5. परीक्ष्यमान अवधि। – नियुक्ति के पश्चात दो वर्षों के लिये परीक्ष्यमान अवधि होगी। उक्त अवधि में सेवा एवं आचार संतोषप्रद नहीं होने पर परीक्ष्यमान अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। विस्तारित अवधि में भी सेवा एवं आचार संतोषप्रद नहीं रहने पर वैसे कर्मी की सेवा बिना सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

6. विभागीय परीक्षा एवं सम्पुष्टि। – (1) विभागीय परीक्षा आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर दक्षता की जाँच के लिये होगी, जिसमें आशुलेखन तथा टंकण एवं कम्प्यूटर की गति क्रमशः 80 एवं 30 शब्द प्रति मिनट होगी। विभागीय परीक्षा में असफल होने पर प्रथम वेतन वृद्धि के बाद आगे की वेतनवृद्धि विभागीय परीक्षा पास होने तक रोक दी जायेगी।
(2) राजस्व पर्षद की केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा विभागीय परीक्षा आयोजित की जायेगी।
(3) नियुक्त कर्मी संतोषप्रद रूप से परीक्ष्यमान अवधि एवं प्रशिक्षण पूरा करने तथा विभागीय परीक्षा में सफल होने पर संवर्ग में सम्पुष्ट किए जा सकेंगे।

7. प्रोन्नति। – (1) संवर्ग में सम्पुष्ट आशुलिपिकों की ग्रेड–III से ग्रेड–II एवं ग्रेड–II से ग्रेड–I में प्रोन्नति वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर होगी।
(2) एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि का पूरा होना आवश्यक होगा।

8. पदस्थापन। – नियुक्त आशुलिपिकों का पदस्थापन विभाग के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय मे किया जा सकेगा। निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा विभिन्न कोटि के आशुलिपिकों के पदस्थापन हेतु कार्यालयों को चिन्हित किया जा सकेगा।

9. इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है, उनके लिए राज्य सरकार की प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

10. निरसन। – इस नियमावली के प्रभाव में आने की तिथि से पूर्व के प्रासंगिक संकल्प/परिपत्र आदि निरसित समझे जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27/6/08

(विजय कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2/नि. स्था. आशुटंकक (03)–07/07 3899/पटना, दिनांक 3.7.08

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

27/6/08

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2/नि. स्था. आशुटंकक (03)–07/07 3899/पटना, दिनांक 3.7.08

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, बिहार/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/मंत्री, सहकारिता के आप्त सचिव/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/वित्त विभाग/विधि विभाग/मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग/निबंधक, सहयोग समितियाँ/बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/प्रशाखा पदाधिकारी, 1 सह. एवं 2 नि. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/6/08

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 08.12.17

संचिका संख्या 2/नि.स्था.आशुलिपिक (03)-07/2007/9783/भारत – संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार राज्य सहकारिता विभागीय क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2008 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।** – (1) यह नियमावली **"बिहार राज्य सहकारिता विभागीय (क्षेत्रीय) आशुलिपिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017"** कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **उक्त नियमावली, 2008 के नियम 3 में संशोधन।** – उक्त नियमावली, 2008 के नियम – 3 के उप–नियम (3) एवं (4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जायेंगे :–

"(3) इस संवर्ग में निम्नलिखित कोटि के पद होंगे –

क्रमांक	कोटि	स्तर	वेतनमान
1.	आशुलिपिक/आशुटंकक, ग्रेड–III	मूल कोटि	पी.बी.–1 + ग्रेड पे–2400/–
2.	आशुलिपिक/आशुटंकक, ग्रेड–II	प्रोन्नति का प्रथम स्तर	पी.बी.–2 + ग्रेड पे–4200/–
3.	वरीय आशुलिपिक/आशुटंकक, ग्रेड–I	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर	पी.बी.–2 + ग्रेड पे–4600/–
4.	प्रधान आशुलिपिक/आशुटंकक	प्रोन्नति का तृतीय स्तर	पी.बी.–2 + ग्रेड पे–4800/–

(4) उपर्युक्त उप–नियम (3) के अनुसार विभिन्न कोटि के आशुलिपिकों की संख्या का आकलन कुल स्वीकृत पदबल के क्रमशः 40 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत के आधार पर होगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6.12.17
(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव।